प्रकाशन सं०-721

सत्यमेव जयते

बिहार विधान सभा

की

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-709

नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 (सा0सा0 एवं आ0 प्र0) की कंडिका 3.9 एवं 3.10 पर प्रतिवेदन ।

(दिनांक 28.02.2024 ई० को सदन में उपस्थापित) ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. लोक लेखा समिति का गठन	क (i) एवं (ii)
2. सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) कार्यालय, वित्त विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के पदाधिकारीगण ।	ख
3. प्राक्कथन	ग
4. प्रतिवेदन	1-8
5. परिशिष्ट	9-31

क (i)

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

गठन वर्ष 2022–24 (सप्तदश बिहार विधान सभा)

सभापति

1.	श्री तारकिशोर प्रसाद	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	स०वि०स०
2.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०
3.	श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स०वि०स०
4.	श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
5.	डॉ० रामानुज प्रसाद	स०वि०स०
6.	श्री महबूब आलम	स०वि०स०
7.	श्री गुंजेश्वर साह	स०वि०स०
8.	श्री विजय कुमार खेमका	स०वि०स०
9.	श्री चन्द्रहास चौपाल	स०वि०स०
10.	श्री अजय कुमार सिंह	स०वि०स०
11.	श्री राज कुमार सिंह	स०वि०स०
12.	श्री राकेश कुमार रौशन	स०वि०स०
13.	श्री देवेश कुमार	स०वि०प०
14.	श्री सर्वेश कुमार	स०वि०प०
15.	डॉ० कुमुद वर्मा	स०वि०प०
16.	डॉ० सुनिल कुमार सिंह	स०वि०प०

बिहार विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

गठन वर्ष 2020–22 (सप्तदश बिहार विधान सभा)

सभापति

1.	श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

1.	श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह	स०वि०स०
2.	श्री विजय शंकर दूबे	स०वि०स०
3.	श्री अवध विहारी चौधरी	स०वि०स०
4.	श्री प्रहलाद यादव	स०वि०स०
5.	श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०
6.	श्री विजय कुमार खेमका	स०वि०स०
7.	श्री आलोक कुमार मेहता	स०वि०स०
8.	श्री अरूण शंकर प्रसाद	स०वि०स०
9.	श्री देवेश कुमार	स०वि०प०
10.	डॉ० रामचन्द्र पूर्वे	स०वि०प०
11.	श्री सर्वेश कुमार	स०वि०प०
12.	डॉ० कुमुद वर्मा	स०वि०प०

ख

बिहार विधान सभा सचिवालय

----

1. श्री राज कुमार	सचिव
2. श्री असीम कुमार	निदेशक
3. श्री राम कुमार यादव	अवर-सचिव
4. श्री उमा शंकर यादव	अवर-सचिव
5. श्री अरबिन्द कुमार दास	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
6. श्री अमित कुमार झा	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
7. सुश्री कंचन कुमारी	सहायक प्रशाखा पदाधिकारी
8. श्री रवि कुमार पाण्डेय	डाटा इंट्री ऑपरेटर

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय

1. श्रीमती पुष्पलता	उप-महालेखाकार
2. श्री कुन्दन कुमार	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
3. श्री प्रमोद कुमार सिंह	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
4. श्री मृत्युंजय कुमार	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

1. श्री एस० सिद्धार्थ	अपर मुख्य सचिव
2. श्री राजेन्द्र कुमार	उप-सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

1. श्री आनंद किशोर	प्रधान सचिव
2. श्री प्रभात भूषण	विशेष कार्य पदाधिकारी
3. श्री सुशील कुमार मिश्रा	अपर निदेशक

प्राक्कथन

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति की हैसियत से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्रतिवेदन सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र की नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित कंडिका 3.9 एवं 3.10 पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 709 प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 को मुख्य समिति की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा परीक्षा), वित्त विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग तथा सभा सचिवालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों जिन्होंने समिति के कार्यों तथा प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में जो सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है, उनका मैं समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यगणों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ ।

पटना:

दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 (ई०) ।

तारकिशोर प्रसाद,

सभापति,

लोक लखा समिति,

बिहार विधान सभा, पटना ।

प्रतिवेदन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र) की कंडिका संख्या-3.9 (पृष्ठ संख्या-83 एवं 84)

नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन

कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण व नगर परिषद् के लेखाओं के मिलान में कमी तथा निकाय-राजस्व के कुप्रबन्धन के कारण ₹85.45 लाख का दुर्विनियोजन ।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बि.न.ले.नि.), 2014 के नियम 22(1) में विहित प्रावधानों के अनुसार, सभी प्राप्त धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में कोषागार या राष्ट्रीयकृत बैंक में अपराह्न के पूर्व जमा करना होगा। बि.न.ले.नि. के नियम 30(1) के अनुसार, रोकड़पाल दैनिक संग्रहण की सार-विवरणी तैयार करेगा व लेखापाल को समर्पित करेगा। आगे, बि.न.ले.नि., 2014 का नियम 29(5) यह प्रावधान करता है कि कार्यपालक पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार संग्रहण सूची की जाँच करेगा ताकि स्वयं संतुष्ट हो सके कि वास्तव में सभी प्राप्त धनराशि बिना विलंब के कोषागार/बैंक में जमा कर लिया गया है। बि.न.ले.नि. के नियम 32(6) के अनुसार, यह लेखापाल का कर्त्तव्य होगा कि मासिक आधार पर बैंक विवरणी को प्राप्त करें व सुनिश्चित करें कि प्रेषित राशि को बैंक खाता में पूर्णतः जमा कर लिया गया है। बि.न.ले.नि. के नियम 33 में यह उल्लेखित है कि यदि निकाय को धनराशि के दुर्विनियोजन का पता चलता है तो कार्यपालक पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर इस दुर्विनियोजन की सूचना सशक्त स्थायी समिति, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं स्थानीय लेखापरीक्षक को प्रदान करेगा एवं सशक्त स्थायी समिति के अनुमति से एफ.आई.आर. दर्ज करेगा ।

नगर परिषद (न.प.) खगड़िया के 2014-15 से 2016-17 (21 जुलाई 2017 तक) के अवधि के दस्तावेजों/अभिलेखों[126] की संवीक्षा में यह पाया गया कि 27 अगस्त 2016 से 21 जुलाई 2017 तक की अवधि से संबंधित संपत्ति कर व अन्य मदों के अन्तर्गत आय-प्राप्तियों के रूप में विभिन्न राजस्व एवं गैर-राजस्व कर के रूप में प्राप्त ₹85.45 लाख की राशि को रोकड़पाल द्वारा विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत

---

126 विविध रसीद खाता, दैनिक संग्रहण पंजी, रोकड़पाल/लेखापाल रोकड़-बही, बैंक खाता इत्यादि।

नकदी[127] के रूप में संग्रहित किया गया एवं रोकड़-पंजी में इसकी प्रविष्टि की गई। इस राशि को नगर निकाय कोष में अक्टूबर 2018 तक जमा नहीं किया गया। रोकड़पाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति 20 अप्रैल 2012 से प्रभार में था । न.प. के लेखापाल ने राशि प्राप्तियों की सार-विवरणी का बैंक विवरणी से लेखा-मिलान नहीं किया जिससे दुर्विनियोजन का पता नहीं लगाया जा सका । रोकड़पाल को प्राप्त हुई सभी धनराशि को नगर निकाय कोष में वास्तव में जमा कर लिया गया इसे सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी ने जरूरी जाँच[128] नहीं किया। हालाँकि, न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी ने रोकड़पाल द्वारा रोकड़ बही में प्रविष्ट प्रत्येक प्राप्ति मद के विरूद्ध हस्ताक्षर ना कर रोकड़ बही के पृष्ठ के निचले स्थान पर हस्ताक्षर किया तथा रोकड़ बही के रिक्त कॉलम (कॉलम 29) के बारे में रोकड़पाल से बैंक में रोकड़पाल द्वारा राशि के जमा होने के समर्थन में बैंक चालान संख्या के उल्लेख हेतु कोई छानबीन नहीं की । परिणामत: राजस्व के नगर निकाय कोष में जमा न होने का पता नहीं लगाया जा सका जो उनकी ओर से पर्यवेक्षण में बरती गई शिथिलता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बिन्दु के उठाए जाने पर न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त 2017 को इस मामले की जानकारी विभाग को दी व विभाग ने संग्रहित राजस्व के दुर्विनियोजन के इस मामले की जाँच हेतु एक समिति का गठन (11 सितंबर 2017) किया गया। समिति के रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने जिलाधिकारी, खगड़िया को तत्कालीन रोकड़पाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया व बि.न.ले.नि. के अनुरूप अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन नहीं किये जाने का स्पष्टीकरण तत्कालीन लेखापाल व पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारियों से मांगा। आगे, जिलाधिकारी, खगड़िया के निर्देशानुसार, रोकड़पाल के खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज किया गया (25 अक्टूबर 2017) तथ न.प. ने तत्कालीन रोकड़पाल से दुर्विनियोजित राशि ₹85.45 लाख की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया (दिसंबर 2017) जिसके लिए स्मार भी जारी (अगस्त 2018) किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, न.प., खगड़िया ने बताया (अप्रैल 2019) कि

---

127 न.प. खगड़िया द्वारा करों व शुल्कों का ऑनलाईन संग्रहण की शुरूआत नहीं हुई थी । राज्य में, 141 में से 55 नगर निकायों में ही करों व शुल्कों के ऑनलाईन संग्रहण की शुरूआत हुई थी।

128 संग्रहण सूची, संग्रहण पंजी एवं सभी सहायक प्रपत्रों व पंजियों के साथ रोकड़ बही ।

₹5.66 लाख राशि का समायोजन तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा यथासमर्पित अभिश्रवों से कर ली गई है ।

इस तरह, रोकड़ बही में दर्ज प्राप्तियों का बैंक विवरणी के साथ लेखा मिलान नहीं होन व कार्यपालक व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में बरती गई शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹85.45 लाख राशि के नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन किया गया ।

विभागीय उत्तर

आपत्ति के आलोक में विभागीय पत्रांक-1304, दिनांक 24.09.2021(परिशिष्ट पृष्ठ संख्या-09 पर द्रष्टव्य) द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कुल दुर्विनियोग राशि में से 5,65,920.00/-रू० का समायोजन किया जा चुका है। शेष राशि की वसूली हेतु भी कार्रवाई की गयी है। इसके लिए संबंधित रोकड़पाल श्री चन्दन कुमार निलम्बित रोकड़पाल के विरूद्ध नगर थाना-खगड़िया में प्राथमिकी दर्ज की गयी है, जिसकी प्राथमिकी सं0-746/17 दिनांक-25.10.2017 of 409/420 IPC है। दोषी रोकड़पाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो विचाराधीन कैदी के रूप में खगड़िया कारागार में बंद है। इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद खगड़िया का पत्रांक-801 दिनांक-21.09.2021 परिशिष्ट पृष्ठ संख्या-11 पर द्रष्टव्य। उक्त पत्र के साथ थानाध्यक्ष, नगर थाना, खगड़िया को प्रेषित प्राथमिकी दर्ज करने से संबंधित पत्र एवं समायोजित राशि से संबंधित साक्ष्य संलग्न किया गया। (परिशिष्ठ पृष्ठ संख्या-12 एवं 13 पर द्रष्ट्व्य)।

दिनांक 14.02.2022 की बैठक में प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सूचित किया गया कि शेष राशि की वसूली हेतु निलामपत्रवाद दायर किया गया है एवं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें संस्पेंड कर दिया गया है।

समिति के पृच्छा के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृति न हों इसके लिए विभाग में इन्टरनल ऑडिट की व्यवस्था की गई हैं जिससे ऐसी घटनाए ए0जी0 के ऑडिट के पूर्व ही विभाग के संज्ञान में आ जायेगी।

समिति की अनुशंसा

विभागीय अनुपालन पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से समिति कंडिका संख्या-3.9 को विलोपित करने का निर्णय लेती है।

पटना ।
दिनांक- 27 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र) की कंडिका संख्या-3.10 (पृष्ठ संख्या-84 एवं 85)

कपटपूर्ण भुगतान

एल.ई.डी. लाईट के क्रय हेतु वित्तीय बोली के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम दर वाले निविदाकार द्वारा दिये गए दर को नगर परिषद् अरवल द्वारा जान-बूझकर नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹50.33 लाख राशि का अधिक एवं परिहार्य भुगतान ।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), 2005 के नियम 126 के अनुसार, प्रत्येक प्राधिकारी जिन्हें जनहित में सामान क्रय करने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त की गई है, की सार्वजनिक क्रय से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता लाने व आपूर्तिकर्त्ताओं से निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार के साथ ही सार्वजनिक क्रय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व व जवाबदेही होगी । आगे, उपरोक्त नियमावली के नियम 131 आर. (XIV) के अनुसार संविदा सामान्य तौर पर न्यूनतम मूल्यांकित निविदाकार को ही प्रदान किया जाना चाहिए जिसकी बोली उचित पायी जाय तथा जो संविदा संबंधी दस्तावेज में विहित नियम व शर्तों के अनुरूप संविदा का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन करने हेतु योग्य व कुशल हो ।

नगर परिषद (न.प.), अरवल के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2017) में यह ज्ञात हुआ कि नगरपालिका वार्डों के मौजूद खंभों पर 45 वाट के एल.ई.डी. लाईट के अधिष्ठापन हेतु पेशा-कर, स्टांप शुल्क एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अन्तर्गत उपलब्ध निधि से न.प. के द्वारा एल.ई.डी. लाईट के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (अगस्त 2015) किया गया। न.प. के सशक्त स्थायी समिति (स.स्थ.स.)[129] की बैठक (27 अगस्त 2015) में पाँच फर्मों से प्राप्त तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया तथा उनमें से तीन फर्मों को एल.ई.डी. लाईट की आपूर्ति हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया । परन्तु, वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के दौरान (27 अगस्त 2015) उपर्युक्त तकनीकी रूप से तीनो सफल फर्मों[130] में से 10,850 प्रति एल.ई.डी. की न्यूनतम दर वाले फर्म का उल्लेख

---

129 (1) अध्यक्ष-सह-मुख्य पार्षद् (2) उप-मुख्य पार्षद् (3) सशक्त स्थायी समिति के तीन सदस्य एवं (4) कार्यपालक पदाधिकारी, न.प. अरवल

130 इलेक्ट्रॉन इन्फ्रासर्विस प्राइवेट लिमिटेड-₹10,850 प्रति इकाई; पैन्थर यूनिट इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-₹21,565 प्रति इकाई तथा माँ जगदम्बा कंस्ट्रक्शन-₹22,500 प्रति इकाई

निविदा को अँतिम रूप प्रदान किए जाने के दौरान तुलनात्मक विवरणी में नहीं किया गया । तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.) के द्वारा तुलनात्मक विवरणी एवं स.स्था.स. के उल्लेखित बैठक के कार्यवृत में यह दर्ज किया गया कि उक्त न्यूनतम निविदाकर के द्वारा वित्तीय संविदा संबंधी अभिलेखों में दर उद्धृत नहीं किया गया। जैसा कि न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार के दर को छिपाया गया था, स. स्था.स. के द्वारा अन्य दो फर्म को उनके उद्धृत दरों[131] पर आगे के मूल्य-संबंधी निर्धारण हेतु बुलाने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, 20,000 प्रति एल.ई.डी. के तयशुदा दर पर निविदा द्वितीय न्यूनतम दर वाले फर्म[132] को प्रदान किया गया साथ हीं ₹1.10 करोड़[133] राशि का व्यय (फरवरी–मई 2016) कर 550 एल.ई.डी. लाईट का क्रय (जनवरी–मार्च 2016) किया गया। इस प्रकार, वित्तीय बोली के मूल्यांकन के दौरान न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कपटपूर्ण तरीके से न्यूनतम दर वाले निविदाकर के दर को छिपाकर एल.ई.डी. लाईट के क्रय पर ₹50.33 लाख[134] राशि का अतिरिक्त एवं परिहार्य भुगतान किया गया ।

इस मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जूलाई 2017) तथा विभाग द्वारा जवाब दिया गया (अक्टूबर 2017) कि संबंधित राशि की वसूली करने एवं मुख्य पार्षद, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी व सभी संबंधित व्यक्तियों पर एफ. आई.आर. दर्ज करने हेतु जिलाधिकारी, अरवल को निर्देश (जुलाई 2017) दिया गया है। विभाग द्वारा आगे यह जवाब दिया गया (फरवरी 2019) कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25(5) के तहत मुख्य पार्षद को उनके पद से हटाया जा चुका है।

इस तरह, स.स्था.स. के सदस्यों एवं न.प. के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम निविदाकार के दर को जान-बूझकर तुलनात्मक विवरणी में दर्ज नहीं किए जाने के साथ ही संगत वित्तीय नियमों के पालन नहीं किये जाने एवं फर्मों से निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार करने में विफल रहने के कारण एल.ई.डी. लाईट के क्रय पर ₹50.33 लाख की राशि का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

---

131 पैन्थर यूनिट इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-₹21,565 प्रति इकाई तथा माँ गजदम्बा कंस्ट्रक्शन-₹22,500 प्रति इकाई

132 पैन्थर यूनिट इन्फ्राट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

133 ₹20,000 x 550 = ₹1,10,00,000

134 ₹(20,000-10,850) x 550 = ₹50,32,500

विभागीय उत्तर

1. विभागीय पत्रांक-4732, दिनांक-18.07.2017 के आलोक में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक-311/सा0 दिनांक-25.07.2017 के द्वारा मुख्य पार्षद नगर परिषद अरवल एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी संबंधितों पर केस संख्या-142/17 दिनांक-28.07.2017, धारा 420/406/409/34 आई0पी0सी0 एवं 13(2) सह पठित धारा 13(1)(डी)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत् दर्ज कराया गया।

2. इस कांड में प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नसीबलाल दास उम्र 52 वर्ष, पिता-स्व0 चन्दलाल दास, ग्राम-नया बाजार, वार्ड सं0 09 सहरसा थाना + जिला - सहरसा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् अरवल को केस दैनिकी सं0 14 दिनांक-28.07.2017 को मृत दिखाते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नित्यानन्द सिंह मुख्य पार्षद, नगर परिषद अरवल पिता-स्व0 भगवान सिंह, ग्राम-खानकुलीपुर, थाना एवं जिला-अरवल के विरूद्ध धारा 420/406/409/34 आई0पी0सी0 एवं 13(2) सह पठित धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 01/18 दिनांक 27.01.2018 को समर्पित किया गया।

3. मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरवल के पत्रांक-172 दिनांक-22.03.2018 के द्वारा उक्त कांड 142/17 को विशेष न्यायाधीश विजीलेंस कोर्ट, पटना केस सं0 spl.15/18 दिनांक 31.03.2018 के रूप में हस्तांतरित है ।

4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त आवेदन संख्या-28.03.2018 के आधार पर माननीय विशेष न्यायालय विजीलेंस द्वारा दिनांक 02.04.2018 को रू0 20000/- के बेल बॉन्ड पर उक्त अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया। इससे संबंधित मामला विशेष विजीलेंस कोर्ट, पटना में प्रक्रियाधिन है।

दिनांक 14.02.2022 की बैठक में समिति की पृच्छा के आलोक में विभागीय प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि जिस फर्म को गलत तरीके से विषयांकित प्रोजेक्ट दिया गया था उस पर भी कार्रवाई की गई एवं अब इस प्रकार के सभी कार्य भारत सरकार की इकाई EESL के द्वारा किया जाता है। विभाग से प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन (कार्यालय नगर परिषद अरवल का पत्रांक-1214, दिनांक 29.10.2021) परिशिष्ट पृष्ठ संख्या-14 पर एवं संबंधित अन्वेषण का अभिलेख (अंश) परिशिष्ट पृष्ठ संख्या-16 पर द्रष्टव्य ।

समिति की अनुशंसा

विभागीय अनुपालन पर महालेखाकार एवं वित्त विभाग की सहमति से समिति कंडिका संख्या-3.10 को विलोपित करने का निर्णय लेती है।

पटना ।

दिनांक- 27 अक्टूबर, 2023 (ई0)।

सभापति,
लोक लेखा समिति
बिहार विधान सभा, पटना ।

परिशिष्ट

संचिका सं०–05/लो० ले० स०– 10/2021 1304 न०वि० एवं आ०वि०

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक:–

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव,
लोक लेखा समिति मु0,
बिहार विधान सभा, सचिवालय, पटना–15।

पटना, दिनांक– 24/9/21

विषय :– लोक लेखा समिति की कंडिका सं0– 3.9, वर्ष 2017–18 का अनुपालन प्रतिवेदन का प्रेषण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि रू0 85.45 लाख का नगर पालिका राजस्व का दुर्विनियोजन आपत्ति के अनुपालन में नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, खगड़िया के पत्रांक– 801 दिनांक– 21.09.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि दुर्विनियोग राशि में से रू0 5,65,920/– रू0 का समयोजन किया जा चुका है। शेष राशि के वसूली हेतु भी कार्रवाई की गयी है। दोषी रोकड़पाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। प्राथमिकी सं0– 746/17 दिनांक– 25.10.2017 of 409/420 IPC है। दोषी रोकड़पाल की गिरफ्तारी हो चुकी है जो विचाराधीन कैदी के रूप में खगड़िया कारागार में बंद है।

इसके लिए निलाम पत्र वाद भी दायर किया गया है।

4/s in p/2 copy of FIR

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में वर्णित कंडिका सं0– 3.9 को विलोपित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

अनु0– कार्यपालक पदाधिकारी, खगड़िया का पत्रांक– 801 दिनांक– 21.09.2021 तीन पृष्ठ।

24/9/21

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :– 05/लो० ले० स0– 10/2021 1304 न0वि0 एवं आ0वि0,पटना, दिनांक– 24/9/21

प्रतिलिपि :– महालेखा परीक्षक, महालेखाकार कार्यालय, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना/अपर सचिव, वि विभाग (लो0ले0) को (अनु0 सहित) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/9/21

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन नगर विकास एवं आवास विभाग।

क्रमांक	कंडिका संख्या वर्ष	आपत्तियाँ	अनुपालन प्रतिवेदन
1	3.9/2017-18	कार्यपालक पदाधिकारी की पर्यवेक्षण व नगर परिषद् के खातों का मिलान में कमी तथा रोकड़ - रोकड़पाल के दुर्व्यपहरण के कारण रू0 6.65 लाख का दुर्विनियोजन।	आपत्ति के आलोक में कहना है कि कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् [illegible] के पत्रांक 801 दिनांक 21.09.2021 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि दुर्विनियोग राशि में से 6,65,920.00/-रू0 का समायोजन किया जा चुका है। शेष राशि की वसूली हेतु भी कार्रवाई की गयी है। इसके लिए संबंधित रोकड़पाल श्री चन्दन कुमार निलंबित रोकड़पाल के विरुद्ध नगर थाना - अररिया में प्राथमिकी दर्ज की गयी है। जिसकी प्राथमिकी सं0 746/17 दिनांक 25.10.2017 धारा 409/420 IPC है। दोषी रोकड़पाल की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जो विचाराधीन कैदी के रूप में [illegible] काराधार में थे/है। (छायाप्रति संलग्न) इसके लिए निलंबन पत्र भी जारी किया गया है। अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में अंकित कंडिका सं0 3.9 को विलोपित करने की कृपा की जाए।

कार्यालय नगर परिषद् खगड़िया

नगरपालिका पथ खगड़िया–851204

पत्रांक 801 दिनांक 21/9/2021

प्रेषक,

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद खगड़िया।

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी–सह–अपर निदेशक,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

विषयः– नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन कंडिका–3.9 का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।

प्रसंग :– भवदीय पत्रांक–05/लो0ले0स0 अनु0–10/2021 1191 न0वि0एवं0आ0वि0 दिनांक 13.09.2021 के सन्दर्भ में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सादर सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 की कंडिका 3.9 में 85.45 लाख रुपए राजस्व कर की राशि रोकड़पाल द्वारा नगर निकाय कोष में जमा नहीं करने तथा उक्त राशि के दुर्विनियोजन करने का उल्लेख किया गया है। इस सन्दर्भ में सूचित करना है कि विभिन्न टैक्स मदों में वसूल किये गये कुल राशि मो0–85.45 लाख रूपये दुर्विनियोग में से कुल रा मो0–5,65,920/– (पाँच लाख पैंसठ हजार नौ सौ बीस) रूपये चलान सं0–C20 दिनांक–15.1 2018 के माध्यम से कोषागार में जमा कर समायोजन किया गया है। शेष दुर्विनियोग की राशि वसू करने हेतु संबंधितों पर कार्रवाई चल रही है। लेखा परीक्षा के आपत्ति उपरांत तत्कालीन कार्यपाल पदाधिकारी नगर परिषद खगड़िया द्वारा नगर थाना खगड़िया में प्राथमिकी दर्ज करायी गई जिसका कांड सं0–748/17 है, साथ ही निलाम पत्र भी दायर किया गया था। सरकारी राजस्व व दुर्विनियोग मामले की गंभीरता को देखते हुए कई बार अनुमंडल पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक अ आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया। तदोपरांत् किये गये पत्राचार के आलोक में न थाना खगड़िया द्वारा दुर्विनियोजनकर्त्ता तत्कालीन रोकड़पाल श्री चंदन कुमार को गिरफ्तार क लिया गया है, जो अभी विचाराधीन कैदी के रूप में खगड़िया कारा में बंद है।

प्रतिवेदन समर्पित।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 21/9/21

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद खगड़िया

कार्यालय नगर परिषद, खगड़िया

नगरपालिका पथ, खगड़िया- 851204

पत्रांक 2699.5/ दिनांक 25/10/2017

प्रेषक,

विनोद कुमार
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगड़िया

सेवा में,

थानाध्यक्ष
नगर थाना, खगड़िया

विषय- श्री चन्दन कुमार, निलंबित रोकड़पाल, नगर परिषद, खगड़िया के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

प्रसंग- प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 09/नगरविo (वित्त)-29/2017-595 दिनांक 16.10.2017 एवं जिला पदाधिकारी, खगड़िया के पत्रांक 2309 दिनांक 17.10.2017

महाशय,

[illegible] पत्र के [illegible] में नगर परिषद, खगड़िया की वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक के [illegible] से स्पष्ट हुआ कि श्री चन्दन कुमार, निलंबित रोकड़पाल, नगर परिषद, खगड़िया के द्वारा नगर परिषद, खगड़िया के विभिन्न मद मदों से प्राप्त राशि मो0 85,45,130/- (पचासी लाख पैंतालीस हजार एक सौ तीस) रूपये, नगर परिषद के न तो बैंक में न ही कोषागार में दिनांक 31.08.2017 तक जमा किया गया है। इस वित्तीय अनियमितता की जाँच नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा गठित टीम दल द्वारा भी की गयी, जिसमें वित्तीय अनियमितता से संबंधित बातें सही पाया गया और दल द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि आपत्तिजनक राशि मो0 85,45,130/- (पचासी लाख पैंतालीस हजार एक सौ तीस) श्री चन्दन कुमार, निलंबित रोकड़पाल के द्वारा जमा नहीं किया गया जो गंभीर वित्तीय अनियमितता मानी जाती है। श्री चन्दन कुमार, निलंबित रोकड़पाल के द्वारा भी उक्त राशि जमा नहीं करने की बात स्वीकार किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में श्री चन्दन कुमार, निलंबित रोकड़पाल, नगर परिषद, खगड़िया का स्थायी पता- श्री चन्दन कुमार, पे0- स्व0 प्रेमशंकर सिंह, साकिन- मेघौल, पो0-मेघौल, जिला-बेगूसराय, वर्तमान पता- श्री चन्दन कुमार, पे0 स्व0 प्रेमशंकर सिंह, वार्ड सं0 25, [illegible] कन्या उच्च विद्यालय के पीछे, थाना-खगड़िया, जिला-खगड़िया-851204 के विरूद्ध आपत्तिजनक राशि मो0 85,45,130/- (पचासी लाख पैंतालीस हजार एक सौ तीस) (छायाप्रति संलग्न) नगर परिषद, खगड़िया के किसी भी बैंक खाते/कोषागार में जमा नहीं कर सरकारी राशि के दुरूपयोग करने तथा अपने पास रखने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(विनोद कुमार)
नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगड़िया
पे0- श्री [illegible]
[illegible]
[illegible]

Registered Town P.S. Case No. 746/17 dt. 25/X/17 u/s 409/420 IPC SI Mukesh Kumar Verma will investigate the case.
25/X/17

Rs. 5,65,921.30 (Five lac sixty five thousand nine hundred twenty

Bihar Treasury Code-2011

BTC FORM - 4

[See Rule 42]

CHALLAN No.............................. Treasury.............. Executive Officer

Major Head 8448	Treasury Code 1264
Sub Major Head 00	DDO Code 00
Minor Head 102	Bank Code 102 0114
Sub Head 0001	Bill Code 0001

Nagar Parishad

Challan of cash paid into the .... Bank at ....

To be filled in by the Remitter					To be filled in by the Departmental officer or the Treasury	
By Whom tendered	Name (or designation) and address of the person on whose behalf money is paid	Full particulars of the remittance and of Authority (if any)	Amounts Rs.	P	Head of Account	Order to the B
Name Rajesh Signature Executive Officer	नगर कार्यपालक पदाधिकारी C-20 J- 9909486	उपनिकासी राशि का समायोजन	5,65,920	00	Municipal Fund 8448001020001	Correct. Receive grant Receipt. Signature and designation of officer ordering money to be p. Date........
			5,65,920	00		

(in words) Rupees Five lac sixty five thousand Nine hundred twenty only

*To be used only in the case of remittances to the through Departmental Officer or the Treasury

PASSED

Received payment

Date

Cashier/Treasurer Accountant Agent or Manager

Note: 1. In the case of payments at the Treasury, receipts for the sums less than Rs. 1,00,000/- do not require the signature of Treas but only of the Accountant and the Treasurer. 2. Particulars of money tendered should be given on the reverse. 3. In cases where d it the Bank are permissible, the column "Head of Account" will be filled in by the Treasury Officer on receipt of Bank's C

30/10

कडिका 3.10

कार्यालय नगर परिषद, अरवल

ई-मेल eonparwal@gmail.com मोबाईल नंबर -06337228810

पत्रांक -1214-/न0प0

प्रेषक,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् अरवल

सेवा में,

परियोजना पदाधिकारी -सह- अपर निदेशक
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

अरवल, दिनांक 28/10/2021

विषय :- भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय वर्ष 2017—18) की कंडिका 3.10 का अनुपालन प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग :- विभागी पत्रांक— 05/लो0ले0समीक्षा बैठक, दिनांक— 15/2021 न0वि0 एवं आ0वि0 बिहार, पटना के संदर्भ में ।

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधिन पत्र के आलोक में सादर सूचित करना है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय वर्ष 2017—18) की कंडिका 3.10 का किये गये आपत्ति का बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्न है।

क्र0सं0	कंडिका	आपत्ति का सार	आपत्ति का निराकरण
01	3.10	कपटपूर्ण एल0ई0डी0 लाईट भुगतान से संबंधित	1. विभागीय पत्रांक— 4732, दिनांक— 18.07.2017 के आलोक में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक— 311/सा0 दिनांक— 25.07.2017 के द्वारा मुख्य पार्षद नगर परिषद अरवल एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी संबंधितो पर केस संख्या 142/17 दिनांक— 28.07.2017, धारा 420/406/409/34 आई0पी0सी0 एवं 13(2) सह पठित धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत दर्ज कराया गया । 2. इस कांड में प्राथमिकी में नामजद अभियुक्त नगीनलाल दास उम्र 52 वर्ष, पिता— स्व0 चन्दलाल दास, ग्राम— नया बाजार, वार्ड सं0 09 सहरसा थाना + जिला — सहरसा तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् अरवल की केस डायरी सं0 14 दिनांक— 28.07.2017 को मृत (मृत्यु प्रमाण—पत्र संलग्न) दिखाते हुए प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नित्यानन्द सिंह, मुख्य पार्षद, नगर परिषद् अरवल पिता— स्व0 भगवान सिंह, ग्राम— खानकुलीपुर, थाना एवं जिला— अरवल के विरूद्ध धारा 420/406/409/34 आई0पी0सी0 एव 13(2) सह पठित धारा 13(1) (डी) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत आरोप पत्र संख्या 01/18 दिनाक 27.01.2018 को समर्पित किया गया । 3. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अरवल के पत्रांक— 172 दिनांक— 22.03.2018 के द्वारा उक्त कांड 142/17 को विशेष न्यायाधीश विजीलेंस कोर्ट, पटना केस सं0 spl.15/18 दिनांक 31.03.2018 के रूप में हस्तांतरित है।

प्रा0 29.10.21 / 2 / 03.12.21

			4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना से प्राप्त आदेश दिनांक– 28.03.2018 के आलोक पर माननीय विशेष न्यायालय विजीलेंस द्वारा दिनांक 02.04.2018 को रू0 20000/– के बेल बॉन्ड पर उक्त अभियुक्त को जमानत पर छोड़ा गया । इससे संबंधित मामला विशेष विजीलेंस कोर्ट, पटना में प्रक्रियाधीन है। संबंधित दस्तावेज संलग्न ।

विश्वासभाजन

29/10/2021

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद अरवल ।

29/10/21

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 | केस दैनिकी सं0– 01 | 691
अ0क0 प्रपत्र सं0 30 ग | (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल................. जिला...अरवल............. प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0......142/17..तिथि 28.07.17......
घटना की तिथि और स्थान 25.07.2017, नगर परिषद, अरवल, धारा–420/406/409/34 भा0द0वि0 एवं 13 (2) सह प0 धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
दि0 28.07.2017 समय–1030 बजे	(1) प्रार्थ मे अंकित तिथि एवं समय वादी दिनेश राम पिता स्व0 अदालत राम, ग्राम+पो0+था धनपटिया, जिला पश्चिमी चम्पारण वर्तमान कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल : कार्यालय पत्रांक 919/न0प0, दिनांक 26.07.2017 के कम्प्यूटराईज्ड आवेदन पत्र के आधार प अरवल थाना कांड संख्या 142/17, दिनांक 28.07.17 धारा–420/406/409/34 भा0द0वि0 ए 13 (2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 विरूद्ध 1. नित्यानन्द सिंह मुख पार्षद नगर परिषद, अरवल 2. नवीबलाल दास तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिष अरवल एवं अन्य संबंधितों पर दर्ज कराया गया तथा कांड का अनुसंधान भार मुझे सौंपा गया। मै इस कांड का अनुसंधान भार ग्रहण कर कांड का अनुसंधान प्रारम्भ किया। जो आवेदन निम्न प्रका है:–

कार्यालय नगर परिषद अरवल।
पत्रांक–919/न0प0

प्रेषक,
कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, अरवल।

सेवा में,
थानाध्यक्ष,
अरवल।

अरवल, दिनांक 26.07.2017

विषय– प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।
महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नगर परिषद, अरवल की योजनाओं में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में निगरानी विभाग के जाँच प्रतिवेदन एवं महालेखाकार का लेखा परीक्षा तथा विशेष लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक 311/सा0, दिनांक 25.07.2017 के मुख्य पार्षद, नगर परिषद, अरवल एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी सहित सभी संबंधितों पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त आदेश के आलोक में श्री नित्यानन्द सिंह मुख्य पार्षद, नगर परिषद, अरवल, श्री नवीबलाल दास तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल एवं अन्य संबंधितों पर सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक:–
1. जिला पदाधिकारी, अरवल का पत्रांक 311/सा0, दिनांक 25.07.2017 (एक पन्ना)।
2. निदेशक नगरपालिका प्रशासन सह अपर सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग पटना के पत्रांक 4732, दिनांक 18.07.17 (एक पन्ना)।
3. नगर परिषद, अरवल की योजनाओं के संबंध में महालेखाकार का लेखा परीक्षा एवं विशेष लेखा परीक्षा का प्रतिवेदन (तिरसठ पन्ना)।
4. नगर परिषद, अरवल के अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा की योजनाओं की बरती गई अनियमियता के संबंध में निगरानी विभाग, बिहार, पटना के जाँच प्रतिवेदन (दो सौ अस्सी पन्ना)।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 120 केस दैनिकी सं०– लगातार 882
(नियम– 164)
अनुसूची अंक सं० 38 अ

_____________ बनाम _____________

विशेष रिपोर्ट केस सं० _____________

थाना ...अरवल............ जिला...अरवल............ प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं० ......142/17...तिथि 28.07.1[illegible]
घटना की तिथि और स्थान............पूर्ववत.............................धारा...................पूर्ववत....

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन-किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
	विश्वासभाजन sd– दिनेश राम 25.07.17 कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अरवल दिनेश राम पिता स्व० अदालत राम ग्राम+पो०+थाना [illegible] जिला पश्चिमी चम्पारण मो०नं० 8809073218 Registerd arwal ps case no-142/17 dt-28-07-17 U/S 420/406/409/34 I.P.C 13(2) सह पठित धारा 13(1)(D) Anti corruption act 1988. S.D.P.O. Arw[al] Shailendra kumar will investigate the case. s/d MK Singh 28-07-17 S.H.O. Arwal (2) उल्लेखनीय है कि प्राथमिकी के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि रमाकान्त कुमार [illegible] वार्ड नं० 1 [illegible] अरवल [illegible] आवेदन प्रधान सचिव निगरानी विभाग, बिहार, पटना एवं [illegible] का लेखा परीक्षा तथा विशेष लेखा परीक्षा पटना को आवेदन दिये जाने के उपरांत जाँच कराई गई। श्री रमाकान्त कुमार का आवेदन एवं शपथ पत्र निम्न प्रकार है– सेवा में, प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार सरकार, पटना। विषय– अरवल नगर परिषद अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मिलीभगत कर वित्तीय वर्ष 2014 एवं 2015–16 में नगर परिषद की सभी योजनाओं में वित्तीय गबन एवं अनियमितताओं की जाँच अपने स्तर से करने/करवाने एवं दोषी व्यक्तियों/पदाधिकारियों पर उचित कानूनी कार्रवाई करने के संबंध में। महाशय, जैसा कि [illegible] हुआ है कि [illegible] द्वारा आवंटित भिन्न–भिन्न योजनाओं के मद में दिए गए राशि का [illegible] एवं कार्यपालक पदाधिकारी [illegible] योजनाओं में [illegible] अनियमितता [illegible] से अवलोकन से स्पष्ट होता है– [illegible] की अनियमितता 1. 2015–16 [illegible] (अरवल) को [illegible] क्रय कर बिना वितरण किये हुए [illegible] पदाधिकारी द्वारा 8 लाख रूपये का गबन कर लिया गया।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 केस दैनिकी सं0–लगातार 003
आ0क्र0 प्रपत्र सं0 30 अ (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल.................. जिला....अरवल.................. प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 ....तिथि 28.07.17 ..

घटना की तिथि और स्थान पूर्ववत ....धारा..................पूर्ववत.....

किस तिथि को (किस सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानो को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

एल0ई0डी0 लाईट में 50 लाख रूपये से अधिक की अनियमितता

2. (i) एल0ई0डी0 लाईट के क्रय में 550 के विरूद्ध मात्र 250 ही लाईट लगाया गया अ इनसी दर में भी भारी गड़बड़ी की गई। किसी मानक कम्पनी का लाईट न लगाय चाईनीज कम्पनी की लाईट लगाई गई। जो निर्धारित दर प्रत्येक एल0ई0डी0 लाईट र 20000/ बीस हजार रूपया किया गया, जो कि मार्केट में बहुत अच्छी कम्पनियों र 4000/से 5000/रूपये में आसानी से उपलब्ध है। अध्यक्ष एवं कार्यपालक द्वारा मिलकर क्र दर और लाईट की संख्या में भारी अनियमितता बरतते हुए 5000000/पच्चास लाख रूप से अधिक का गबन किया गया।

हाई मास्ट लाईट में 30 लाख से अधिक का गबन

(ii) हाई मास्ट लाईट मे प्रत्येक टॉवर में 10 नोज बल्ब लगाया जाना था तथा पैनल बॉक भी लगाया जाना था। अथवा केवल लगाया जाना जो कि दस नोज बल्ब की जगह 8 या बल्ब ही लगाया गया है। अधिकतर जगह पैनल बॉक्स ही नही है। निविदा के अनुसार तार की क्वालिटी बहुत ही घटिया है। प्रत्येक हाई मास्ट लाईट की कीमत 850000/रू जो वि बहुत ही ज्यादा है। इसका मार्केट रेट 4 से 5 लाख में अच्छी कम्पनी का मिल जाता है जिस कम्पनी से हाई मास्ट लाइट का क्रय किया गया है, वह सिक्सा कम्पनी का है और चाईनिज है। कार्यपालक पदाधिकारी और अध्यक्ष द्वारा 30 लाख रूपये का सरकारी गबन किया गया।

3. वर्ष 2014–15 में टेम्पु टिपर रू0 840000/ प्रति पीस की दर से क्रय किया गया, जबकि दूसरे एजेन्सियो/निविदाकारो द्वारा प्रति पीस 4.5 लाख से 5 लाख की कीमत दी गई थी, परन्तु जानबुझकर उच्चदर पर टेम्पु टिपर को खरीदकर संबंधित निविदा दाता को अवैध रूप से लाभ पहुँचाया गया जिससे सरकारी खजानों को लाखो रूपये की चुना लगाया गया।

4. तेरहवी वित आयोग मद मे योजना संख्या 37/2014–15 एकल एवं 48/2014–15 तथा चतुर्थ वित आयोग मद मे 14/2014–15, 15/2014–15, 16/2014–15, 23/2014–15, 24/2014–15, 25/2014–15, 27/2014–15, 53/2014–15, 54/2014–15, 55/2014–15, 56/2014–15, 57/2014–15, 58/2014–15, 59/2014–15, 60/1014–15, 61/2014–15 एकल 62/2014–15, 63/2014–15, 64/2014–15, 65/2014–15, 66/2014–15 एवं 67/2014–15 मे वित्तीय निविदायें नही खोली गई। जिससे यह साबित होता है कि अवैध तरीके से सरकारी राशि का गबन करने के ख्याल से कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद महोदय द्वारा कार्य को अंजाम दिया गया।

5. चार योजनाओं का कार्य अधूरा रहने पर भी पूर्ण भुगतान किया गया तथा सात कुल पूर्ण योजना पर भुगतान राशि 29159937 पर 1 प्रतिशत लेबर शेष राशि 291599 की कटौती नही की गयी। कटौती न कर संबंधित व्यक्तियों फार्मों अवैध रूप से लाभ पहुचाया गया तथा उससे मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा मिलकर अवैध रूप से कमाई की गयी।

6. चतुर्थ वित आयोग मद मे योजना संख्या 16/2014–15 एवं 18/2014–15 मे योजना कार्यादेश तिथि 25.06.2015 एवं कार्य पूर्ण तिथि 27.05.2015 निर्धारित थी यानि मात्र दो दिनो मे योजना का क्रियान्वयन कर/करा दिया गया जो असंभव है।

7. बी0आर0जी0एफ0 मद मे चार योजनाओ तेरहवी वित आयोग मद मे 8 योजनाओं एव चतुर्थ वित आयोग मद में 16 योजनाओं का क्रियान्वयन विलम्ब से पूर्ण किये जाने के कारण कानूनी/नियमानुसार भुगतेय राशि 9584219/–का 10 प्रतिशत यानि 958422/–कटौती नही की गई तथा उक्त कटौती की जाने वाली रू0 958422/– को मुख्य पार्षद एवं अन्य संबंधित व्यक्तियों फिर्मो द्वारा गबन कर लिया गया।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 केस दैनिकी सं0–लगातार 004
आ0ह0 प्रपत्र सं0 30 अ (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ____________

थाना ...अरवल............... जिला ...अरवल............ प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 ......तिथि 28.07.17 ..
घटना की तिथि और स्थान .... धारा .... पूर्वोक्त

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन-किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
	8. उक्त निविदता को आमंत्रित कर गैर कानूनी तरीके से रू0 823645/–का अधिक भुगतान एवं रू0 5711646 का अनियमित ढंग से भुगतान कर संवेदक को अवैध रूप से लाभ पहुँचाया गया तथा कथित संवेदक द्वारा एकरारनामा नहीं किया गया, जबकि उन्हें अप्रैल 2014 एवं मई 2014 में अवैध रूप से भुगतान किया गया। 9. वर्ष 2012–13 की तुलना में सफाई कार्यों में वर्ष 2015–16 में लगभग 07 गुणा व्यय बिना किसी निविदा आमंत्रण एवं बिना प्रमाणित साक्ष्य के करके लाखों रुपये की हेराफेरी/गबन किया गया। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुरानी दर (वर्ष 2015–16) से 07 गुणा कम पर किये जा रहे सफाई कार्यों का असंतोषजनक नहीं पाया गया। 10. रसीद संख्या 701–756, 868–900 एवं 979–993 द्वारा कुल वसूली गई राशि रू0 110318/– को परिषद कोष में जमा नहीं की गई तथा इसे अवैध रूप से गबन कर लिया गया। 11. रसीद बुक 901–1000 में रसीद संख्या 994–1000 तक की रसीद को अवैध रूप से गायब कर उन रसीदों से वसुल की गई राशि का अवैध रूप से गबन कर लिया गया। 12. वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 के दौरान रसीदों से वसूली गई राशि रू0 589418/– का गैर कानूनी रूप से प्रत्यक्ष विनियोग अपने अवैध लाभ के लिए किया गया तथा इससे करदाताओं का लाखो का रूपयों का अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। 13. नगर परिषद् अरवल के क्षेत्राधिकार में कुल 21 मोबाईल टॉवर बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र लिए ही अधिष्ठापित किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा नियम को ताक पर रखकर अपने सुविधानुसार कार्य किया जा रहा है एवं स्वंय सुविधा शुल्क की वसूली कर नगर परिषद्, अरवल के राजस्व का गबन किया जा रहा है। 14. डीजल एवं जेनरेटर, ट्रैक्टर एवं जे0सी0बी0 भाड़ा के मद में खर्च से अधिक भुगतान किया गया है एवं इस संबंध में विपत्र भी संधारित नहीं किया गया है। नगर परिषद्, अरवल को मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा मनमाने तरीके से कार्य किया जा रहा है। 15. लैपटॉप की खरीद में भी वित्तीय गबन किया गया है। बिना विज्ञापन निकाले हुए ही 14 पीस लैपटॉप की खरीद की गयी है एवं जिस लैपटॉप की खरीद का प्रस्ताव पास हुए उससे भिन्न मॉडल का लैपटॉप खरीद की गई। 16. कार्यपालक पदाधिकारी, मुख्य पार्षद 4 अदद् टैबलेट का भुगतान कुल राशि रू0 199400/ का भुगतान संबंधित कम्पनी को प्राप्त आपूर्ति के बिना ही कर दी गई जो सरकारी कोष के गबन का मामला स्पष्ट रूप से बनता है। 17. नगर परिषद् अरवल में वर्ष 2014–15 लगाये/गाड़े गये चापाकल को 110 फीट गहराई के जगह पर अधिकार जगह मात्र 30 फीट गहराई में ही लगाया/गाड़ा गया है। तथा उस तरह लाख रूपयों की निकासी सरकारी खजाने से अवैध रूप से करके गबन कर लिया गया है। 18. वर्ष 2014–15 के दौरान बनाई गई गली/रोड की पी0सी0सी0 ढलाई 03 से 04 इंच मोटाई [illegible] इस तरह सरकारी खजाने से लाखो रूपये की निकासी कर गबन कर लिया गया, जाँच करने से स्पष्ट हो जाएगा। __तीन पहिया ठेला में 10 लाख रूपये से अधिक की अनियमितता__ 19. तीन पहिया ठेला 46 पीस खरीदा गया है (जिसका) प्रत्येक ठेला का कीमत 36000/–रूपया

अनुसू 47, प्रपत्र सं0 120　　　केस दैनिकी सं0–लगातार　　　005
आ0ह0 क्षेत्र सं0 30 अ　　　(नियम– 184)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल............... जिला...अरवल............... प्रथम इतला रिपोर्ट सं0 142/17 ....तिथि 28.07.17 .....
घटना की तिथि और स्थान...............पूर्ववत............................धारा.........................पूर्ववत.......

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानो को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

भुगतान किया गया है। जो कि मार्केट में आसानी से 12 से 15 हजार में उपलब्ध हो जाता है। जब से इसकी खरीददगी हुई है, यह शोभा का वस्तु बना हुआ है।

<u>हाउस होल्ड बिन में 15 लाख रूपये से अधिक की अनियमितता</u>

20. हाउस होल्ड बिन 5000 कार्य आदेश दिया गया, जो प्रत्येक पीस का कीमत 660/–रूपये में क्रय किया गया, जबकि बाजार में इससे अच्छी क्वालिटी की हाउस होल्ड बिन की कीमत 200–225/–रू0 में आसानी से उपलब्ध किया जा सकता है। कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद के द्वारा मिलीभगत से 15 लाख रूपये से अधिक का सरकारी राशि का गबन किया गया।
21. मॉ जगदम्बा इंफ्रा स्ट्रक्चर एजेन्सी एवं पैंथर इंफ्रा एजेन्सी, ये दोनों एजेन्सी एक ही मालिक का है। मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी की मिलीभगत से दोनों एजेन्सी अलग–अलग पेपर डालकर टेंडर हथिया लेते है तथा दोनो पेपर पर हस्ताक्षर मिलान किया जाए। दोनों पेपर पर एक ही व्यक्ति का हस्ताक्षर रहता है। कुछ योजनाएँ ऑफ लाईन भी डाला गया या अधिकतर योजनाओं की खरीद प्रक्रिया इन्हीं दो एजेन्सियों से ही अधिक की जाती है।

नगर परिषद् अरवल के वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 में हाथ ठेला एवं पोल माउन्टेड बीन की खरीद हेतु दिनांक 05.06.15 को दैनिक जागरण में निविदा निकाली गयी। दिनांक 23.07.15 को निविदा में शामिल छः फर्मों में से मात्र एक निविदादाता कृषि यंत्र केन्द्र, पटना ही तकनीकि निविदा में सफल हो पाया। इस प्रकार से एकल निविदा को ही प्राथमिकता देते हुए दुसरी निविदा नहीं निकाली गयी और कृषि यंत्र केन्द्र, पटना को चयन किया गया।

दिनांक 31.07.15 को रू0 20300 प्रति इकाई की दर से 70 हाथ ठेला की आपूर्ति का आदेश कृषि यंत्र केन्द्र, पटना को निर्गत किया गया। इस हेतु आपूर्तिकर्ता के साथ कोई एकरारनामा नहीं किया गया था। दिनांक 08.08.15 एवं 24.08.15 को कुल 70 हाथ ठेला की आपूर्ति कर दी गयी। इसके विरूद्ध आयकर सहित कुल रू0 14,21,000/– का भुगतान किया गया था। इसमें वैट की कटौती नहीं की गयी है।

इसी प्रकार दिनांक 17.12.15 को रू0 20,500/– प्रति इकाई की दर से 250 पोल माउंटेड बीन की आपूर्ति हेतु कृषि यंत्र केन्द्र, पटना को आदेश दिया गया था। इस हेतु आपूर्तिकर्ता के साथ कोई एकरारनामा नहीं किया गया। दिनांक 30.12.15 एवं 10.1.16 की अवधि में 150 बीन की आपूर्ति की गई, बाकि 100 बीन की आपूर्ति अभी तक नहीं हो पायी है। इसके विरूद्ध आयकर, वैट सहित कुल रू0 30,75,000/– का भुगतान किया गया है।

1. तकनीकि निविदा शर्तो के बिन्दु 08 के अनुसार आपूर्तिकर्ता से कुल विपत्र की राशि 5 प्रतिशत् काटकर गारंटी/वारंटी अवधि तक रखी जाएगी। आपूर्तिकर्ता द्वारा निविदा में हाथ ठेला पर 18 माह एवं बीन पर 12 माह की गारंटी/वारंटी दी गयी थी, इसके बावजुद राशि का कटौती नही की गयी। इस प्रकार कुल (3075000+1421000) x 5 प्रतिशत = 2,25,800/– की अधिक भुगतान आपूर्तिकर्ता को कर दिया गया।
2. आपूर्तिकर्ता के साथ कोई एकरारनामा नहीं किया गया है।
3. निविदा शर्त के अनुसार सामग्री की उचित जाँच के बाद ही भुगतान किया जाना चाहिए, जबकि हाथ ठेला की जाँच किए बिना ही आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया है।
4. बीन के भुगतान से 5 प्रतिशत् वैट कटौती की गयी है परन्तु हाथ ठेला के भुगतान से वैट कटौती नहीं की गयी है। इस प्रकार आपूर्तिकर्ता को 1421000 x 5 प्रतिशत = 71050/– अधिक भुगतान कर दिया गया।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120
आर० प्रपत्र सं0 30 अ

केस दैनिकी सं0–लगातार
(नियम– 104)

006

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना अरवल .... जिला अरवल .... प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 .... तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान .... पूर्ववत .... धारा .... पूर्ववत ....

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
—	उपरोक्त परिस्थितियों में पूरी क्रय प्रक्रिया ही सदोष प्रतीत होती है।

बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 131L में एकल निविदा से संबंधित प्रावधानों के अनुसार यदि कोई खास फर्म ही आवश्यक सामग्री का निर्माण करती है या किसी खास फर्म से ही सामग्री की खरीद करना अत्यावश्यक है (इसके लिए उपर्युक्त कारण तथा सक्षम पदाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है) तो वैसी स्थिति में एकल निविदा के माध्यम से सामग्री खरीद की जा सकती है। लोक निर्माण विभाग संहिता में वर्णित प्रावधान के अनुसार एकल निविदा की स्थिति में अपने से एक ऊपर के पदाधिकारी की स्वीकृति आवश्यक है।

इस प्रकार नगर परिषद् के मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अपने शक्ति का दुरूपयोग कर नियम कानून को ताक पर रखकर कार्य किया जा रहा है। सरकारी खजानों को लूटा जा रहा है।

अतः श्रीमान से आग्रह है कि पूरे मामले की जाँच स्वंय अपने स्तर से वरीय पदाधिकारी द्वारा/किसी भी निष्पक्ष एजेन्सी द्वारा जाँच कराई जाए एवं सरकारी खजाने को लूट–खसोट करने से बचाया जा सकें। जिससे कि वित्तीय अनियमितता करने वाले पर विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करते हुए सरकारी धन की वापसी हो सके एवं सुशासन की सरकार को आरोपों से मुक्त किया जा सकें। साथ ही साथ कृत कार्रवाई की सूचना से मुझे अवगत कराई जाए।

दिनांक 27.07.16

विश्वासभाजन
ह0/ रामाकान्त कुमार वार्ड पार्षद 01
श्याम कुमार वार्ड पार्षद 03
सीमा देवी वार्ड पार्षद 05
मो0 असरफ वार्ड पार्षद 11
पूनम कुमार वार्ड पार्षद 13
फरजाना खातुन वार्ड पार्षद 14
उर्मिला देवी वार्ड पार्षद 20
शमिला खातुन वार्ड पार्षद 17

रामाकान्त कुमार वार्ड नं0 01.
ग्राम अहियापुर छोटकी
पोस्ट सकरी बीघी
थाना अरवल
जिला अरवल
पिन कोड 804401
मो0नं0 9430575011
9931070923

शपथ पत्र

मैं, रामाकान्त कुमार वार्ड पार्षद वार्ड नं0 01 ग्राम अहियापुर छोटकी, पोस्ट सकरी बीघी, थाना अरवल, जिला अरवल पिन कोड 804401 (बिहार) शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ।

1. यह कि अरवल नगर परिषद् अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मिलीभगत कर वित्तीय वर्ष 2014 एवं 2015–16 में नगर परिषद् की सारी योजनाओं में वित्तीय गबन एवं अनियमितताओं की जाँच अपने स्तर से करने/कराने एवं दोषी व्यक्तियों–पदाधिकारियों पर उचित कानूनी कार्रवाई के सम्बन्ध में जो आरोप पत्र दे रहा हूँ उसमें वर्णित सारी बातें मेरे जानकारी में सही है। जिसे जाँच के दौरान सहयोग करने के लिए मैं तैयार रहूँगा।
2. यह कि शपथ पत्र एवं आवेदन पत्र में जो हस्ताक्षर बनाया गया है वह सही एवं सत्य है।

ऊपर वर्णित सारी बातें मेरी जानकारी में सही है।

मुहर सहित, नोटरी अरूण कुमार पटना बिहार
मास्टर रजि0 नं0 7420J
दि0 27.07.16

ह0– रामाकान्त कुमार
शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर

उपरोक्त कागजात कांड दैनिकी के साथ संलग्न है।

अनुसूची 47, प्रपत्र सं० 120 केस डायरी सं०-लगातार 097
आर्टिकल प्रपत्र सं० 30 अ (नियम- 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं० ....

थाना अंचल .... जिला अरवल .... प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं० 142/17 .... तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान .... पूर्ववत .... धारा .... पूर्ववत ....

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन-किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

(3)

बिहार सरकार, निगरानी विभाग तकनीकी परीक्षक कोषांग ब्लॉक -02 मुख्य सचिवालय, पटना संचिका संख्या अरवल जाँच (नगर विकास)-64/2016/त०प०को० का जाँच प्रतिवेदन निम्न प्र है-

<u>जाँच प्रतिवेदन</u>

विषय- नगर परिषद, अरवल में अध्यक्ष एवं कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा क्षेत्र की योजनाओं में बरती गई अनियमितता की जाँच।

1.0.1. सरकार के अपर सचिव, निगरानी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-परि० ना विकास-39/16-3220(अनु०), दिनांक 12.09.2016 द्वारा श्री रमाकान्त कुमार, वार्ड नं० ग्राम अहियापुर छोटकी, पोस्ट-तकरी चौकी, जिला अरवल से प्राप्त परिवाद पत्र एवं आप पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुए विषयांकित मामले की जाँच किये जाने का निदे अभियंता, प्रमुख, तकनीकि परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त हुआ उक्त परिवाद पत्र की जाँच हेतु संचिका अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 17.08.2016 को पृष्ठांकित की गई। (परि०-1/1-12)

1.0.2. उक्त जाँचादेश के आलोक में कोषांगीय पत्रांक-974, दिनांक 22.09.2016 द्वारा परिवादी श्री रमाकान्त कुमार से परिवाद में वर्णित तथ्यों को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया। इस क्रम कोषांगीय पत्रांक 980, दिनांक 22.09.2016 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में क्रियान्वित की गई सभी योजनाओं की सूची योजनावार व्यय की राशि, क्रय की गई सामग्री की विवरणी तथा उस पर व्यय की गई राशि (लेखा सहित) एवं उनकी अद्यतन स्थिति (भौतिक एवं वित्तीय से संबंधित वांछित सूचनाएँ उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

(परि०-2/1-2)

1.0.3. परिवादी श्री रमाकान्त कुमार ने दिनांक 08.11.2016 को अपने पत्र द्वारा निम्न बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए जाँच प्रक्रिया निष्पादित करने का आग्रह किया-

(i) क्रय एवं निविदा निष्पादित में घोर अनियमितता।

(ii) एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट (45 वाट) क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(iii) हाई मास्ट लाईट क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(iv) तीन-पहिया रिक्सा ठेला क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(v) हाउस होल्ड डस्टबिन के क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(vi) हैण्ड ट्रॉली (लोहायुक्त) के क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(vii) पोल माउन्टेड बिन के क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

(viii) कम्बल के क्रय एवं निविदा निष्पादन में अनियमितता।

परिवादी द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों की पूर्ण जाँच करने का अनुरोध किया गया एवं पत्र के साथ साक्ष्य के तौर पर कुछ कागजात भी उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये।

(परि०-3)

1.0.4. पत्रांक-2037 दिनांक [illegible] द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल ने नगर परिषद, अरवल क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2014/15 एवं 2015/16 में क्रियान्वित की गई सभी योजनाओं की सूची योजनावार क्रय की गई सामग्री की विवरणी तथा व्यय की गई राशि की विवरणी उपलब्ध कराया। उपलब्ध करायी गयी विवरणी से स्पष्ट होता है कि वर्ष 2014/15 में कुल 75 अदद एवं वर्ष 2015-16 में कुल 13 अदद योजनाएँ क्रियान्वित की गई है। इस प्रकार वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 को मिलाकर नगर परिषद, अरवल क्षेत्रान्तर्गत कुल 88 अदद योजनाएँ क्रियान्वित की →

अनुच्छेद 47, प्रपत्र सं0 120 केस दैनिकी सं0–लगातार 008
अ0ह0 पत्री सं0 30 अ (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना अरवल जिला अरवल प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान पूर्ववत धारा पूर्ववत

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

है। कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सभी योजनाओं को पूर्ण बताया गया है।

(परि0–4/1–8)

1.0.5 योजनाओं की कुल संख्या अत्यधिक होने के कारण परिवादी के पत्र दिनांक 08.11.2016 इंगित बिन्दुओं एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची आलोक में अभियंता प्रमुख, तकनीकि परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा नि योजनाओं का चयन जाँच हेतु किया गया–

वर्ष	क्रमांक	Reference
2014–15	75	161/प0
2015–16	7,8,10,11,13 एवं 13	160/प0

(संचिका टिप्पणी पृष्ठ–3/टि0)

1.0.6 कंडिका 1.0.5 मे वर्णित वर्ष/क्रमांक/ Reference के आधार पर निम्न योजनाओं क चयन जाँच हेतु अभियंता प्रमुख, तकनीकि परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा किय गया है–

क्रमांक	वर्ष	योजनाओं का नाम	प्राक्कलित राशि
1	2014–15	23 अदद लैपटॉप एवं 4 अदद टैबलेट का क्रय	8,71,042/–
2	2015–16	2250 अदद कम्बल का क्रय	9,00,000/–
3	2015–16	हाई मास्ट लाईट/सोडियम लाईट (12 मीटर/10 मीटर ऊचाई)	40,41,137/–
4	2015–16	हैण्डट्रॉली मेटल–70 अदद, पोल माउन्टेड बीन–150 अदद	43,06,076/–
5	2015–16	रिक्शा ठेला (ठेला)–45 अदद, हाईड्रोलिक टीपर–6 अदद	54,99,149
6	2015–16	एल0ई0डी0 लाईट (45W) विदाउट पोल–550 अदद, हाई मास्ट लाईट/सोडियम लाईट एल0ई0डी0 (20 मीटर ऊचाई के साथ 12 अदद)	1,6326,114/–
7	2015–16	हाउसहोल्ड बिन–5000 अदद	31,27,680/–

(परि0–4/7–8)

1.0.7 कंडिका 1.0.6 में वर्णित जाँच हेतु चयनित योजनाओं से संबंधित वांछित अभिलेखों की माँग कोषांगीय पत्रांक 25, दिनांक 09.01.2017 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल से की गई। वांछित अभिलेख प्राप्त नहीं हो पाने के उपरांत कोषांगीय पत्रांक–104 दिनांक 31.01.2017 द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल को स्मारित किया गया।

(परि0–5/1–3)

1.0.8 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा अपने पत्रांक 91 दिनांक 02.02.2017 द्वारा जाँच हेतु चयनित योजनाओं से संबंधित वांछित अभिलेख उपलब्ध कराये गये है।

(परि0–6/1–2)

2.0.0 परिवाद के मुख्य बिन्दु:–

परिवादी के मूल परिवाद पत्र, परिवादी के दिनांक 08.11.2016 द्वारा दिये गये पत्र एवं अभियंता प्रमुख, तकनीकि परीक्षक कोषांग, निगरानी विभाग, बिहार, पटना द्वारा जाँच हेतु चयनित योजनाओं के आलोक में परिवाद के मुख्य बिन्दु निम्न है–

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 | केस दैनिकी सं0–लगातार (नियम– 164) | 009
आ0अ0 प्रपत्र सं0 30 क

________________ बनाम ________________

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ________________

थाना ...अरवल.............., जिला...अरवल............ प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 142/17 ......तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान..........पूर्ववत.......................धारा..................पूर्ववत.....

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
	(i) बिना विज्ञापन (निविदा) निकाले 14 अदद लैपटॉप का क्रय किया गया। जिस लैपटॉप खरीद का प्रस्ताव पारित हुआ उससे भिन्न मॉडल का लैपटॉप क्रय किया गया। इसके साथ ही अदद टैबलेट का भुगतान (रू0 1,99,400/–) संबंधित कम्पनी को टैबलेट आपूर्ति के बिना ही व दिया गया। (मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु 15 एवं 16)
	(ii) अवैध रूप से कम्बल का क्रय विक्रान्त समाजसेवी संस्थान कल्पी से दर्शाते हुए बिना वितर के 5 लाख रूपये का गबन कर लिया गया।
	(iii) हाई मास्ट लाईट का कार्य विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है एवं इसका क्रय भी अधिक दर प किया गया है। (मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु 2(ii) तथा परिवादी के पत्र दिनांक 08.11.2016 वर्णित बिन्दु–3)।
	(iv) हैण्ड ट्रॉली (पैटल) एवं पोल माउन्टेड बिन के निविदा निष्पादन में अनियमितता ए आपूर्तिकर्ता को अधिक भुगतान। मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु–21 तथा परिवादी के पत्र दिनांक 08.11.2016 में वर्णित बिन्दु–6 एवं 7)।
	(v) तीन पहिया रिक्शा ठेला का क्रय अधिक दर पर किया जाना। (मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु–19 एवं परिवादी के पत्र दिनांक 08.11.2015 में वर्णित बिन्दु–4)
	(vi) एल0ई0डी0 लाईट का क्रय विशिष्टियों के अनुरूप नहीं एवं इसका क्रय अधिक दर पर किये जाना तथा एल0ई0डी0 लाईट के क्रय में 550 के विरूद्ध मात्र 250 ही लाईट लगाया जाना। (मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु 2(i) एवं परिवादी के पत्र दिनांक 01.11.2016 में वर्णित बिन्दु–2)
	(vii) हाउसहोल्ड बिन का क्रय अधिक दर पर किया जाना। (मूल परिवाद पत्र में वर्णित बिन्दु 20 एवं परिवादी के पत्र दिनांक 01.11.2016 में वर्णित बिन्दु–5)
	(परि0–1/1–12 एवं परि0 3/1 तथा संचिका टिप्पणी पृष्ठ 3/टि0)
	3.0.0 कार्य का नाम– नगर परिषद् अरवल के कार्यालय उपयोग हेतु लैपटॉप/टैबलेट का क्रय– <u>अभिलेखीय स्थिति–</u>
	3.0.1 बिहार सरकार नगर एवं आवास विभाग के पत्रांक–2 ब0/यो0 08–08/2009–114 न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक 09.1.2015 के क्रम संख्या –24 द्वारा नगर परिषद्, अरवल के लिए 4 अदद टैबलेट के क्रय हेतु 2 लाख रूपये सहायक अनुदान के रूप में आवंटित किया गया। (परि0–6/12)
	3.0.2 बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–290/यो0 08–08/2008–136 न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक 14.02.2015 के क्रम संख्या 25 द्वारा नगर परिषद्, अरवल के महिला पार्षदों के लिए 11 अदद लैपटॉप के क्रय हेतु तीस हजार रूपये प्रति लैपटॉप की दर से 3.30 लाख रूपये सहायक अनुदान के रूप में आवंटित किया गया। (परि0–7/13–18)
	3.0.3 दिनांक 03.03.2016 को नगर परिषद्, अरवल के वार्ड पार्षदों की मासिक बैठक श्री [illegible] सिंह मुख्य पार्षद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में पारित प्रस्ताव संख्या 6 द्वारा नगर विकास के लिए निर्धारित संख्या में टैबलेट/लैपटॉप का क्रय वित्तीय नियमावली के सुसंगत प्रावधान के आलोक में करने का निर्णय लिया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लैपटॉप/टैबलेट क्रय हेतु टेंडर निकाला जाय। बैठक की कार्यवाही कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् अरवल के ज्ञापांक 01 दिनांक 11.03.2016 द्वारा अधिसूचित है। (परि0–7/1–5)
	3.0.4 नगर परिषद् अरवल के ज्ञापांक 119 दिनांक 24.03.2016 द्वारा 4 अदद टैबलेट एवं 11 अदद लैपटॉप के क्रय हेतु अल्पकालीन दर्द आमंत्रण सूचना प्रकाशित की गई, ——— ———

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 | केस दैनिकी सं0 लगातार | 0010
आरक्षी प्रपत्र सं0 30 ऊ | (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल........ जिला...अरवल........ प्रथम इतला रिपोर्ट सं0 142 / 17 ....तिथि 28.07.17
घटना की तिथि और स्थान.......... पूर्ववत........................ धारा........................ पूर्ववत......

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

दैनिकी समाचार पत्र "राष्ट्रीय सहारा" में दिनांक 29.03.2015 को तथा "हिन्दुस्तान" में 29.03.2015 को हुआ। इसके लिए निविदा प्राप्ति की तिथि 30.03.2015 को 3 बजे अपराह्न तय एवं निविदा खोलने की तिथि 30.03.2015 को 4 बजे अपराह्न निर्धारित की गई।

(परि0–7 / 19–21)

3.0.5 उपरोक्त आमंत्रित "अल्पकालीन भाव आमंत्रण सूचना" के विरूद्ध कुल तीन अदद निविदाकार (कोटेशनदाताओं) ने भाग लिया, जो निम्न प्रकार है–

(i) Computer Shopee, Civil Lines, Gaya-823001
(ii) Digital Equipment, Samridhi commercial centre, S.P. Verma Road, Dak Bungalow Road, Patna-1
(iii) ITECH, G.B. Road, in front of Indrapuri, Gaya-823001

(परि0–7 / 22–23)

3.0.6 उपरोक्त तीन कोटेशनदाताओं में से Digital Equipment, Patna एवं ITECH, GAYA द्वारा अपने कोटेशन में निविदा शर्तों के अनुरूप निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं अग्रधन राशि से संबंधित डिमान्ड ड्राफ्ट संलग्न नहीं किया गया है।

(परि0–7 / 22–23)

3.0.7 दिनांक 30.03.2015 को 4 बजे अपराह्न मुख्य पार्षद–सह अध्यक्ष, उप मुख्य पार्षद, सशक्त स्थायी समिति के तीन सदस्य एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, अरवल की उपस्थिति में निविदाकारों से प्राप्त कोटेशन को खोला गया।

(परि0–7 / 22–23)

3.0.8 Computer Shopee, Civil Lines, Gaya से प्राप्त कोटेशन सभी मानकों के साथ सही पाये जाने तथा निविदत्त दर सबसे कम रहने के कारण उन्हें कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल के पत्रांक–131, दिनांक 21.04.2015 द्वारा 4 अदद टैबलेट एवं 11 अदद लैपटॉप तीन दिनों के अन्दर नगर परिषद, अरवल को आपूर्ति किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया गया।

(परि0–7 / 24–26)

3.0.9 Computer Shopee, Civil Lines, Gaya द्वारा दिनांक 23.04.2015 को 4 अदद टैबलेट एवं 11 अदद लैपटॉप की आपूर्ति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल को किया गया एवं इसके लिए निम्न विपत्र समर्पित किया गया–

1. HP LAPTOP PAV15-RII9TU 11Nos- Rs-3,28,900/-
2. SAMSUNG SM-T805-(Tablet) 04 Nos- Rs-1,99,400/-

कुल योग– रू0 5,28,300/–

3.0.10 Computer Shopee, Civil Lines, Gaya से प्राप्त उपरोक्त विपत्रों को कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा दिनांक 07.05.2015 को पारित किया गया एवं Cheque Advice no-165 दिनांक 07.05.2015 द्वारा कोषागार पदाधिकारी अरवल को P.L. Account No-844800102001 के विरूद्ध चेक संख्या A331437 दिनांक 07.06.2015 द्वारा रू0– 5,28,300/– का भुगतान Computer Shopee, Gaya को किया गया।

(परि0–7 / 28–29)

3.0.11 क्रय किये गये 11 अदद लैपटॉप वितरण महिला वार्ड पार्षदों को एवं 4 अदद टैबलेट का वितरण मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, कार्यपालक पदाधिकारी एवं आई0टी0 एसोसियेट को किया गया। उप मुख्य पार्षद एवं कार्यपालक पदाधिकारी को दिये गये टैबलेट की प्राप्ति रसीद पर उन

अनुसूची 47, प्रपत्र सं0 120 केस दैनिकी सं0-लगातार---- 0011
आ0ह0 प्रपत्र सं0 30 अ (नियम- 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल............ जिला ...अरवल............ प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 ......तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान ....पूर्ववत.................. धारा..............पूर्ववत...

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन-किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
	दोनों का हस्ताक्षर नही है।

(परि0-7/30-31)

3.0.12 बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-2 ब0/ 08-08-2008-4334 नं0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक 22.08.2015 के क्रम संख्या 25 द्वारा पु वार्ड पार्षदों के लिए 12 अदद लैपटॉप के क्रय हेतु तीस हजार रुपये प्रति लैपटॉप की दर से 3.60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति लैपटॉप के क्रय हेतु बुडा के खाता संधारित ई0-गर्वनेंस मद की राशि मे से निकासी कर सभी संबधित नगर निकायों को RTGS माध्यम से बुडा द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने की भी बातें भी उक्त वर्णित पत्र के कंडिका-2 कही गई है।

उक्त स्वीकृति पत्र की कंडिका 3 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि उपल होने के उपरांत प्रत्येक नगर निकाय द्वारा अपने नगर निकाय के लिए निर्धारित संख्या में लैपटॉप क्रय बिहार वित्तीय नियमावली के संगत प्रावधानों के आलोक में किया जाएगा।

(परि0-7/32-38)

3.0.13 कंडिका 3.0.12 में वर्णित 12 अदद लैपटॉप के क्रय की स्वीकृति नगर विकास ए आवास विभाग द्वारा दिये जाने के उपरांत न तो स्थायी सशक्त समिति के समक्ष क्रय की स्वीकृ हेतु प्रस्ताव रखा गया और न ही नगर परिषद अरवल द्वारा कोई कोटेशन/भाव आमंत्रण सूचन निर्गत किया गया। दिनांक 21.11.2015 को कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा मुख्य पार्षद से पूर्व में प्राप्त किये गये दर के आधार पर ही Computer Shopee, Civil Lines, Gaya से 12 अदद लैपटॉ के क्रय हेतु आदेश प्राप्त कर लिया गया। Computer Shopee, Civil Lines, Gaya के कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल के पत्रांक 520 दिनांक 27.11.2015 द्वारा अदद लैपटॉप के लिए क्रय आदेश निर्गत किया गया।

(परि0-7/41-42,7/39)

3.0.14 कंडिका 3.0.13 में वर्णित क्रय आदेश के विरुद्ध Computer Shopee, Gaya द्वार दिनांक 01.02.2015 को 12 अदद लैपटॉप की आपूर्ति कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल को करते हुए कुल रू0 3,59,880/- का विपत्र समर्पित किया गया।

(परि0-7/44)

3.0.15 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल द्वारा दिनांक 01.12.2015 को कंडिका 3.0.14 में वर्णित विपत्र को रू0-3,59,880/- के लिए पारित किया गया एवं इसे 5% VAT की राशि रू0 17,137/- काटकर रू0 3,42,742/- का भुगतान Computer Shopee, Gaya को चेक संख्या-111741 दिनांक 02.12.2015 द्वारा किया गया।

(परि0-7/42,7/44)

3.0.16 आपूर्ति किये गये कुल 12 लैपटॉप में से 11 अदद लैपटॉप का वितरण पुरुष वार्ड पार्षदों में किया गया।

(परि0-7/46)

3.0.17 इस प्रकार वर्ष 2015-16 में नगर परिषद, अरवल द्वारा कुल 23 अदद लैपटॉप एवं कुल 4 अदद टैबलेट का क्रय किया गया है एवं इसके विरुद्ध कुल रू0 8,71,042/- का भुगतान संवेदक Computer Shopee, Gaya को किया गया है।

3.0.1 <u>समीक्षा एवं निष्कर्ष:-</u>

3.1.1 कार्यालय नगर प्रबंधक अरवल के ज्ञापांक 119 दिनांक 24.03.2015 द्वारा आमंत्रित

अनु0 47, प्रपत्र सं0 120 | केस दैनिकी सं0–लगातार | 0012
आ0ह0 प्रपत्र सं0 30 अ | (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ____________

थाना ...अरवल.......................... जिला....अरवल.................. प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 ......तिथि 28.07.17
घटना की तिथि और स्थान..............पूर्ववत.................................धारा.............................पूर्ववत.......

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख
	25.03.2015 को एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 29.03.2015 को प्रकाशित हुआ, जब कि निविदा प्रा की तिथि दिनांक 30.03.2015 को 3 बजे अपराह्न निर्धारित थी। बिहार सरकार, निगरानी विभाग के पत्रांक–परि0/मंथन–07/2012–3525 दिनांक 11.0 2012, जो मुख्य पार्षद सचिव, बिहार के हस्ताक्षर से निर्गत है, में स्पष्ट रूप से वर्णित है f 'निविदा विज्ञप्ति के प्रकाशन एवं निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बीच में कम से कम 1 दिन (अथवा यदि पूर्वानुमति प्राप्त कर इस अवधि को कमतर किया गया तो उक्त कमतर अवधि) व अन्तर रखा जाना है।' वर्तमान मामले में दर आमंत्रण सूचना का अंतिम प्रकाशन एवं निविदा प्राप्ति की तिथि में मात्र एक दिन का अंतर है। स्पष्ट है कि लैपटॉप एवं टैबलेट के क्रय हेतु आमंत्रि 'अल्पकालीन भाव आमंत्रण सूचना' नियमानुकूल नहीं है। (परि0–7/47–49) 3.0.2 कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा लैपटॉप एवं टैबलेट हेतु आमंत्रि अल्पकालिन भाव आमंत्रण सूचना के विरुद्ध कुल तीन अदद कोटेशन प्राप्त हुए थे। इसमें से द अदद कोटेशनदाता Digital Equipment, Patna एवं ITECH, GAYA ने अपने कोटेशन के साथ निविदा शर्तों के अनुरूप निबंधन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड एवं अग्रधन की राशि जमा नहीं किया था, अतः इन दोनों को वैध निविदादाता/कोटेशनदाता नहीं माना जा सकता। इससे स्पष्ट है कि Computer Shopee, Gaya ही एक मात्र सफल निविदादाता/कोटेशनदाता थे एवं एकल कोटेशन पर ही निविदा निष्पादित कर दी गई। एकल कोटेशन के बावजूद न तो पुनर्निविदा आमंत्रित की गई न ही एक स्तर (स्टेप) ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा निविदा निष्पादन की अनुशंसा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा की गई। अतः निविदा निष्पादन को नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। 3.0.3 नगर परिषद अरवल के ज्ञापांक 119 दिनांक 24.03.2015 द्वारा मात्र 11 अदद लैपटॉप एवं 4 अदद टैबलेट हेतु ही 'अल्पकालीन भाव आमंत्रण सूचना' आमंत्रित की गई थी एवं इसके आधार पर Computer Shopee, Gaya को क्रय आदेश निर्गत किया गया था। विभाग द्वारा पुनः दिनांक 22.08.2015 को 12 लैपटॉप क्रय की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त बिना कोटेशन आमंत्रित किये इसका भी क्रयादेश Computer Shopee, Gaya को देकर पूर्व के ही आपूर्ति दर पर आपूर्ति ले ली गई। बिना निविदा/कोटेशन आमंत्रित किये शेष 12 अदद लैपटॉप के क्रय को नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। (परि0–7/19–21,7/32–38, 7/39, 7/41–42) 3.0.4 पहले क्रय आदेश के लिए 11 अदद लैपटॉप एवं 4 अदद टैबलेट के क्रय से संबंधित विपत्र (रू0 5,28,300/–) से VAT की कटौती नहीं की गई, जब कि दूसरे क्रय आदेश के लिए 12 अदद लैपटॉप के क्रय से संबंधित विपत्र से 5% VAT की कटौती (रू0 17,137) की गई है इस प्रकार पहले क्रय आदेश (11 अदद लैपटॉप एवं 4 अदद टैबलेट) के विरुद्ध भी लैपटॉप मद में रू0 15,661.90 एवं टैबलेट मद में रू0–9,495.24 अर्थात कुल रू0 25,157.14 की कटौती VAT मद में की जानी चाहिये थी। VAT(5%) की राशि रू0 25,157/– की कटौती संवेदक के विपत्र से नहीं किया जाना नियमानुकूल नहीं माना जा सकता। (परि0–7/27–29, 7/42, 7/44) 3.0.5 कंडिका 3.1.1 में वर्णित बिन्दुओं यथा कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद अरवल द्वारा आमंत्रित 'अल्पकालीन भाव आमंत्रण सूचना' का प्रकाशन नियमानुकूल नहीं होने, उक्त निविदा का

पु.नि.फा. 47, प्रपत्र सं0 120 केस दैनिकी सं0–लगातार 0013
आ0स0 प्रपत्र सं0 30 अ (नियम– 164)

.... बनाम ....

विशेष रिपोर्ट केस सं0 ....

थाना ...अरवल........ जिला...अरवल........ प्रथम इत्तला रिपोर्ट सं0 142/17 ....तिथि 28.07.17

घटना की तिथि और स्थान........पूर्ववत........धारा........पूर्ववत....

किस तिथि को (समय सहित) कार्रवाई की गई और किन–किन स्थानों को जाकर देखा गया।	अन्वेषण का अभिलेख

निष्पादन नियमानुकूल नहीं होने, बिना कोटेशन आमंत्रित किये 12 अदद लैपटॉप क्रय किये जाने रू0 25,157/– VAT की राशि संवेदक के विपत्र से नहीं काटे जाने हेतु मुख्य पार्षद–सह–अध्यक्ष नगर परिषद्, अरवल श्री नित्यानन्द सिंह एवं तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल श्री नरसीबलाल दास उत्तरदायी माने जा सकते हैं।

4.0.0 <u>कार्य का नाम:– कम्बल का क्रय:–</u>

4.0.1 मुख्य पार्षद, नगर परिषद अरवल की अध्यक्षता में नगर परिषद, अरवल के सशक्त स्थायी समिति की दिनांक 09.12.2015 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 8 द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की राशि से नागरिक मद में कम्बल खादी चादर क्रय कर सभी वार्ड में गरीब परिवारों को आवश्यकतानुसार बाँटने का निर्णय लिया गया।

पुनः मुख्य पार्षद, नगर परिषद अरवल की अध्यक्षता में नगर परिषद, अरवल के वार्ड पार्षदों की दिनांक 31.12.2015 की बैठक में प्रस्ताव संख्या 16 द्वारा ठंढ को देखते हुए नगर परिषद क्षेत्र के गरीब परिवारों को कम्बल क्रय कर बाँटने का निर्णय लिया गया।

(परि0–8/1–5)

4.0.2 उक्त निर्णय के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल के पत्रांक 4 दिनांक 09.01.2016 द्वारा अल्पकालीन निविदा दर आमंत्रण सूचना संख्या 08/2015/16 से कम्बल क्रय हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की गई। निविदा प्राप्ति की तिथि दिनांक 25.01.2016 को 12 बजे दिन तक एवं निविदा खोलने की तिथि दिनांक 25.1.2016 को 3 बजे अपराह्न निर्धारित की गई। आमंत्रित निविदा में आपूर्ति किये जाने वाले कम्बल की संख्या निर्धारित नहीं की गई एवं संख्या के संबंध में 'आवश्यकतानुसार' अंकित किया गया था। कम्बल की कोई विशिष्टि भी निर्धारित नहीं की गई। निविदा का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र 'प्रभात खबर' में दिनांक 17.01.2016 को तथा 'राष्ट्रीय जागरण' में दिनांक 17.01.2016 को हुआ।

(परि0–8/6–9)

4.0.3 उक्त निविदा के विरूद्ध तीन निविदादाताओं यथा विक्रान्त समाज सेवी संस्थान करपी, अरवल, अनिल कुमार, अरवल एवं सुनैना कुमारी, अरवल ने भाग लिया।

(परि0–8/10)

4.0.4 दिनांक 25.01.2016 को निविदा निष्पादित की बैठक में निविदा में भाग लेने वाले तीन एजेन्सियों में से विक्रान्त समाज सेवी संस्थान, करपी, अरवल को न्यूनतम दर के आधार पर सफल घोषित किया गया। दिनांक 28.01.2016 को दर वार्ता के उपरान्त विक्रान्त समाज सेवी संस्थान, करपी, अरवल द्वारा उद्धृत दर रू0 550 प्रति कम्बल के विरूद्ध रू0 400/–प्रति कम्बल की दर को स्वीकृति दी गई। इसके उपरान्त कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल के ज्ञापांक 96 दिनांक 01.02.2016 द्वारा आपूर्ति आदेश विक्रान्त समाज सेवा संस्थान, करपी, अरवल को दिया गया। आपूर्ति आदेश में कम्बल की संख्या 2250 एवं दर 400 रूपये प्रति कम्बल तथा कुल राशि नौ लाख रूपये है।

(परि0–8/11–13)

4.0.5 09.03.2016 को विक्रान्त समाज सेवी संस्थान, करपी, अरवल द्वारा 2250 अदद कम्बल की आपूर्ति 400 रूपये प्रति कम्बल की दर से किया जाना प्रतिवेदित है, जिसके विरूद्ध विक्रान्त सेवी संस्थान, करपी, अरवल द्वारा नौ लाख रूपये का विपत्र भी दिया गया।

(परि0–8/14)

4.0.6 विक्रान्त समाज सेवी संस्थान, करपी, अरवल के 9 लाख रूपये के कुल विपत्र के विरूद्ध कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, अरवल द्वारा दिनांक 09.03.2016 को 7,30,000/– एवं दिनांक

बिहार विधान-सभा सचिवालय

पत्र संख्या-प्र० लो०ले०स०-23/23- 1080 /वि०स०।

प्रेषक,

अशीम कुमार,
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना ।
प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक- 3/11/2023

विषयः- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार सूचित करना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष-2017-18 (सा०क्षे० एवं आ०प्रा०) की कंडिका-3.9 एवं 3.10 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 को समिति द्वारा दिनांक-27.10.2023 की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

अतः पारित प्रारूप प्रतिवेदन की मूल प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर प्रतिवेदन प्राप्ति के 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर समिति द्वारा पारित प्रतिवेदन की मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस करने की कृपा की जाय । इस अवधि के अन्दर प्रारूप प्रतिवेदन वापस नहीं होने पर यह समझा जायेगा की इसमें निहित आँकड़े सही हैं ।

अनु०-लो.ले.स. का प्रारूप प्रतिवेदन-709 की मूल प्रति ।

विश्वासभाजन

(असीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।
2/11/23

संख्या लो०ले०स०/प्रा०प्र०प्रति०/23-24/147 No. 61

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना-800 001
Indian Audit & Accounts Department
Office of the Principal Accountant General (Audit) Bihar
Birchand Patel Marg, Patna-800 001

दिनांक/Date: 09.11.2023

सेवा में,

निदेशक,
बिहार विधान सभा सचिवालय,
बिहार, पटना-800 001

विषय :- **बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 में सन्निहित तथ्यों एवं आँकड़ों का सम्परीक्षण के संबंध में।**

प्रसंग:- बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्र सं० 2लो०ले०स०-23/23-1080/वि०स०, दिनांक-03.11.2023

महाशय,

निदेशानुसार, भारत के नियंत्रक एव महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सन्निहित कंडिकाओं पर आपके द्वारा प्रेषित लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 को मूल रूप में वापस करते हुए सूचित करना है कि उक्त प्रारूप प्रतिवेदन में सन्निहित तथ्यों एव आँकड़ों का सम्परीक्षण किया गया तथा उनमें उल्लिखित अंतर्वस्तु में आंशिक संशोधन किया गया एव अन्य तथ्यों एवं आँकड़ों को सही पाया गया।

भवदीय,

अनुलग्नक:- यथोपरि।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
लोक लेखा समिति

बिहार विधान सभा सचिवालय

पत्र संख्या-02 लो.ले.स.-23/2023- वि0स0, पटना ।

प्रेषक,

अशीम कुमार,
स्मार पत्र निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना ।

पटना, दिनांक-

विषय- लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 में सन्निहित आँकड़ों के सम्परीक्षण के संबंध में ।

प्रसंग- सभा सचिवालय के पत्रांक-1080, दिनांक-03.11.2023.

महोदय,

उपर्युक्त पत्र एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निदेशानुसार सूचित करना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 (सा.सा. एवं आ.प्र.) की कंडिका-3.9 एवं 3.10 पर लोक लेखा समिति का प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 को आँकड़ों के सम्परीक्षण हेतु विभाग को भेजा गया था जिसमें यह उल्लिखित था कि आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर सभा सचिवालय को वापस की जाय परन्तु लगभग 01 (एक) माह का समय बीत चुका है और अबतक प्रारूप प्रतिवेदन का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को वापस नहीं किया गया है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रारूप प्रतिवेदन संख्या-709 में सन्निहित आँकड़ों का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति सभा सचिवालय को 07 (सात) दिनों के अंदर वापस की जाय । यदि प्रारूप प्रतिवेदन का सम्परीक्षण कर इसकी मूल प्रति इस अवधि के अंदर वापस नहीं की जाती है तो यह समझा जायेगा कि इसमें सन्निहित आँकड़े सही हैं एवं इसके उपरांत सभा सचिवालय द्वारा प्रतिवेदन उपस्थापन संबंधी अग्रतर कार्रवाई कर ली जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-
(अशीम कुमार)
निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-02 लो०ले०स०-23/2023 1162 वि०स०, पटना, दिनांक-26/12/2023

प्रति- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।
26/12/23

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2024